न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी: श्री रमेश चन्द्र बहेडिया,R.A.S

राजस्व वाद संख्या : 100/23 (वाद)

GCMS NO: 2023/284

अनवान

1. श्री गोपाललाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति वैरागी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........वादी

बनाम

1. श्री भंवरलाल पुत्र श्री रामा जाति अहीर निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्रीमती तुलसीबाई पत्नि श्री रामचन्द्र जाति वैरागी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
3. श्री युगल किशोर पुत्र श्री रामचन्द्र जाति वैरागी निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित-1. श्री मुकेश डांगी, अधिवक्ता वादी।
2. श्री सुशील जैन, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

-: :निर्णय: :-

दिनांक : 12.09.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं जता कर बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव पर प्रार्थना पत्र पेश कर आपत्ति जताई की विभाजन प्रस्ताव मौके अनुसार नहीं बनाया गया तथा वादी की भूमि को वादी के नाम पर नहीं रखा गया।

हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया। तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि बंटवाडा प्रस्ताव राजस्व अभिलेख एवं मौके अनुसार वादी एवं प्रतिवादी की उपस्थिति में बनाया गया। मौके पर उपस्थित वादी द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ़, सुन एवं समझ कर पर हस्ताक्षर नहीं किये गये जबकि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पढ़, सुन एवं समझ कर हस्ताक्षर किये गये।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के अध्ययन से स्पष्ट है कि बंटवाडा प्रस्ताव मौका अनुसार उभय पक्षकारान की उपस्थिति में बनाया गया हैं। वादी द्वारा अपनी आपत्ति में यह कथन कहा कि वादी की भूमि वादी के नाम पर नहीं रखी गई हैं जबकि बंटवाडा प्रस्ताव में वादी को हिस्से अनुसार भूमि वादी के नाम प्रस्तावित की गई हैं साथ ही बंटवाडा प्रस्ताव भी मौके अनुसार ही बनाया गया हैं। वादी द्वारा अपनी आपत्ति में बटवाडा प्रस्ताव कानूनी प्रावधानों के अनुसार नहीं बनना बताया जबकि रिपोर्ट से स्पष्ट है कि बंटवाडा प्रस्ताव राजस्थान भू. राजस्व नियम का पालन करते हुये बनाई गई हैं। वादी द्वारा अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में कही स्पष्ट नहीं किया कि किन कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं किया गया हैं। अतः आपत्ति प्रार्थना पत्र आधारहीन व अस्पष्ट होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त बटंवाडा प्रस्ताव पर कोई आपति नहीं जताई तथा बंटवाडा प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहुलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादीगण से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरें एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावें। परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा भीण्डर पटवार हल्का भीण्डर, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज. की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-

क्र.स.	खातेदार का नाम	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गोपाललाल, युगलकिशोर पुत्र रामचन्द्र, कु[illegible] रामचन्द्र हि.व. जाति वैरागी सा. देह खातेदार .	23[illegible]	[illegible]	बारानी तृतीय	0.54
	योग	किता 1	0.1800	-	0.54
2.	भंवरलाल पुत्र रामा जाति अहीर सा. देह खातेदार	236/2[illegible]	0.1800	बारानी तृतीय	0.54
	योग	कि[illegible]	0.1800	-	0.54

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 15:51:07 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] डिग्री पृथक जारी हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से नाम हो।
[illegible] पत्र माफकत सुनाया गया।